

मुख्य पोस्ट-मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 414]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 11 अगस्त 2010—श्रावण 20, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2010

क्र. एफ-ए 3-16-2010-1-पांच (66).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 20-क की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त उपधारा के खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) में यथा विनिर्दिष्ट विवरणियां/पुनर्सूचित विवरणियां प्रस्तुत करने की वर्ष 2009-10 से संबंधित तारीख 0.5 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज के साथ, जो धारा 18 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के उपबंध के अनुसार देय ब्याज के अतिरिक्त होगा, 31 अगस्त, 2010 तक बढ़ाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2010

क्र. एफ-ए 3-16-2010-1-पांच (66).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-16-2010-1-पांच (66), दिनांक 11 अगस्त 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 11th August 2010

No. F-A-3-16-2010-1-V (66).—In exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of Section 20-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, extends to 31st August, 2010 the date of filing of returns/revised returns as specified in sub-clause (i) of the clause (a) of the said sub-section pertaining to the year 2009-10 with an interest of 0.5% per month, which shall be in addition to the interest payable in accordance with the provision of clause (a) of sub-section (4) of Section 18.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.